

उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सौगंजेर)

राम लाल बनाम नरेन्द्र सिंह

वर्ष १९७१-७२ / २०

आज्ञा
र्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

१२५

पत्रावली भेज दी। वादी व वादी अधिवक्ता
उपस्थित नहीं वक्त अधिलत वादी व उनके
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई
गई। वादी व उनके अधिवक्ता को सोर के कोर्ड
से उपस्थित नहीं होने से वादी का वाद हादमा
हाजरी हादमा फैली में (कारण) डिमा जाता है
पत्रावली भेजना सुमार होकर, दर्ज नम्बर के
क्रम है, वाद तत्काल प्राप्ति इफ्तार है।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सौगंजेर)